संख्या-205/2015/2166जेएल/22-3-15-800(131)/2014

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
फरीदाबाद (हरियाणा)।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 14 जुलाई, 2015***

विषय- केन्द्रीय कारागार, आगरा के बंदी हरवीर पुत्र श्री रामशरण, निवासी-ग्राम-एतमादपुर, थाना-सैक्टर-30, जनपद-फरीदाबाद(हरियाणा) को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा के बंदी हरवीर पुत्र श्री रामशरण, निवासी-ग्राम-एतमादपुर, थाना-सैक्टर-30, जनपद-फरीदाबाद(हरियाणा) को शासनादेश संख्या-34/2015/3308जेएल/22-3-14-800(131)/2014, दिनांक 13-02-2015 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-205/2015/2166जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस उपायुक्त, सैन्ट्रल, फरीदाबाद(हरियाणा)।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in